UPLL010002832023

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/61/2023

STATE OF U.P. Vs. Ramgopal Pal@Gopal Pal s/o Guman

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण रामगोपाल पाल उर्फ गोपाल पाल व सोबरन पाल पुत्र गुमान पाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1- यह कि घटना की दिनाँक 05.11.2022 को समय 06.30 बजे स्थान ग्राम सौरई थाना मडावरा पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के पिता की मारपीट की गयी तथा मारपीट में आयी चोटों के कारण उनकी इलाज के दौरान दिनाँक 14.11.2022 को मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के पिता को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के पिता की मारपीट कर उन्हें ऐसी चोटें कारित की गयी, जिनसे उनकी मृत्यु होने पर आप हत्या की कोटि में न आने वाले दण्ड के दोषी हैं। अतः आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक-14.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक-14.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.03.14 17:45:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/61/2023

STATE OF U.P. Vs. Ramgopal Pal@Gopal Pal s/o Guman

14.03.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता की लाठी डंडो से मारपीट कर चोटें पहुँचायी गयी है, जिससे दौरान इलाज मृतक की मृत्यु हुई है। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304 सपठि धारा 34, 323 सपठित धारा 34 व धारा 308 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 सपठित धारा 34, 308 सपठित धारा 34 व धारा 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–14.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।